Ref. Purchase/2026-27/198 Date. 27.05.2026

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सुलतानपुर

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दर
1	**खोलने का कार्य**	
अ	6 इंच पिच की स्लेटे खोलने का कार्य	दर प्रति स्लेट
ब	6 इंच पिच के चेन स्पयर्स को खोलना/डिस्मेन्टल करने का कार्य (रोलर, पिन, बुश, लिंक आदि)	दर प्रति मी0
2	**सफाई एवं मरम्मत का कार्य**	
अ	केन कैरियर के चेन स्पेयर्स एवं सभी स्लेटों की सफाई का कार्य (लगभग 1000 स्लेटें एवं 320 मी0 चेन)	लम्पसम्प
ब	6 इंच पिच की स्लेट की मरम्मत का कार्य	दर प्रति स्लेट
स	6 इंच पिच के चेन स्पयर्स के मरम्मत का कार्य (रोलर, पिन, बुश, लिंक आदि)	दर प्रति मी0/नग/पीस
3	**बांधने का कार्य**	
अ	6 इंच पिच की स्लेट को बांधने का कार्य (चेन के साथ)	दर प्रति स्लेट
ब	6 इंच पिच के स्पेयर्स बांधने का कार्य	दर प्रति मी0

अतिरिक्त नियम एवं शर्तेः–

1. समस्त कार्य मुख्य अभियन्ता के निर्देशानुसार करना होगा तथा दिये गये समय के अन्दर पूर्ण करना होगा।
2. कार्यादेश प्राप्ति के दो दिन के अन्दर प्रारम्भ कर विलम्बतम् 30 दिन मे समाप्त करना होगा। प्रतिदिन आवश्यकतानुसार मजदूर कार्य पर लगाने होगे। कार्य के क्रमांक संख्या 3 पर अंकित कार्य मिल चलने से एक माह पूर्व पुनः पूर्ण करना होगा।
3. समस्त कार्य ब्यायलर स्टेशन प्रभारी/मु0अ0 के निर्देशानुसार व समय से सम्पादित करना होगा।
4. कार्य को सम्पादित करने के लिए आवश्यक सामान मिल द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
5. यदि निर्धारित समय के अन्दर या सन्तोषजनक ढंग से कार्य सम्पादित नही किया जाता है, या बीच मे छोड दिया जाता है तो ठेकेदार की फरफॉरमेन्स सिक्योरटी की धनराशि एवं देय धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
6. नियमानुसार लगने वाले आयकर/अन्य कर की कटौती आपके बिलो से की जायेगी।
7. जी0एस0टी0 का भुगतान मिल को जी0एस0टी0 लाभ लिये जाने के उपरान्त किया जायेगा।
8. ठेकेदार के चालू बिलो का भुगतान अधिकतम् 70 प्रतिशत होगा, जो मुख्य अभियन्ता की संस्तुति पर किया जायेगा। अवशेष 30 प्रतिशत सीजन प्रारम्भ होने पर कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मुख्य अभियन्ता की सस्तुति उपरान्त देय होगा।
9. कार्य के दौरान ठेकेदार या ठेकेदार की लेबर को चोट आदि लगने पर मिल की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
10. चयनित फर्म को कार्य मे प्रयुक्त लेबर का बीमा कार्यादेश के 10 दिवस के अन्तर्गत चीनी मिल कार्यालय मे उपलब्ध कराना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

11. चयनित फर्म द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रयुक्त लेबर को कार्य के दौरान सेफ्टी उपकरण युक्त रहना आवश्यक है जो चयनित फर्म को उपलब्ध कराने होगे।
12. ठेकेदार या उसकी लेबर के द्वारा मिल को किसी प्रकार की क्षति पहुचायी जाती है तो उसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार की परफोरमेन्स सिक्योरटी या अन्य देय से की जायेगी।
13. ठेकेदार को अपनी लेबर आदि के रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
14. किसी भी विवाद के लिए प्रधान प्रबन्धक का निर्णय अन्तिम होगा।
15. निविदादाता को जी0एस0टी0/पैन कार्ड/आधार कार्ड/अनुभव हेतु कार्यादेश अपलोड करना अनिवार्य होगा।
16. पुर्व मे चीनी मिल मे कार्य का अनुभव जिसका कार्यादेश हो उपलब्ध कराये।
17. मिल के प्रधान प्रबन्धक को निविदा की शर्तो में संशोधन करने तथा कोई भी या सभी निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

15.05.2?

कर्य प्रभारी	मुख्य अभियन्ता	मुख्य रसायनविद्	मुख्य लेखाकार	प्रधान प्रबन्धक

Scanned with OKEN Scanner